<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, कम0 3 अजमेर

दीवानी वाद सख्या 07/2015
सीआईएस संख्या 246/2015
विनोद कुमार बनाम सीताराम व अन्य</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>31.07.2025</td><td>वकुलाय फरिकेन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 14 व 15 सपठित धारा 151 सीपीसी व धारा 66 साक्ष्य अधिनियम पर सुनी गयी।
दौराने बहस वकुलाय ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये बहस की
दौराने बहस अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजात प्रकरण में सुसंगत होना बताते हुये प्रतिवादी को पेश करने बाबत आदेश देने का निवेदन किया गया।
जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 की ओर से निवेदन किया गया कि उनेक द्वारा प्रार्थना पत्र द्वारा वांछित मूल दस्तावेज दिनांक 15.04.2013 पूर्व में पेश किया जा चुका है तथा अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 18 द्वारा निवेदन किया गया कि विक्रय पत्र दिनांक 18.04.2015 की प्रमाणित प्रति पूर्व से ही रिकॉर्ड पर है, जिसे वह स्वीकार करते है। जिस पर अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में कोई अनुतोष शेष नहीं होना जाहिर किया और प्रार्थना पत्र निस्तारित करने का निवेदन किया गया।
चूंकि प्रकरण में वादी द्वारा वांछित दस्तावेज दिनांक 15.4.2013 मूल पेश किया जा चुका है एवं दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 18.4.2015 की प्रमाणित प्रति को अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 18 द्वारा स्वीकार किये जाने के कारण अधिवक्ता वादी द्वारा कोई अनुतोष प्रार्थना पत्र में शेष नहीं होना जाहिर किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र में कोई अनुतोष शेष नहीं होने से प्रार्थना पत्र एत्तद्वारा निस्तारित किया जाता है।
पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की जाती है। जिस बाबत समय चाहा गया। प्रकरण 10 वर्ष पुराना है। आईन्दा आवश्यक रूप से वादी अपनी साक्ष्य पेश करे। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 27.08.2025 को पेश हो।

(नीरज गुप्ता)
अपर जिला न्यायाधीश,
कम–3, अजमेर</td><td></td></tr>
</table>